



हत्या के अभियुक्त, मृतक से संबंधित सबूतों सहित गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा हत्या में आरोपित दो अभियुक्तों को मृतक का आधार कार्ड एवं मृतक की बैंक की पासबुक बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 27.07.2021 को थानाध्यक्ष अनुराग सिंह थाना आसीवन मय फोर्स के मु0अ0सं0 153/21 धारा 302/201/120B I.P.C में अभियुक्तगणों की तलाश में मामूर होकर सिद्धनाथ तिराहे पर मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मुर्शीद पुत्र रौनक अली निवासी ग्राम खेवरई थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव व अभियुक्ता गीता उर्फ शिवकुमारी पत्नी स्व0 चन्दन निवासी ग्राम मुण्डा थाना आसीवन जनपद उन्नाव को नंगाखेड़ा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना क्रम के अनुसार दिनांक 18.09.2020 को श्रीमती तिलाका उर्फ सुखदेई पत्नी स्व0 मनीराम रैदास निवासी ग्राम मुण्डा थाना आसीवन उन्नाव ने थाना आसीवन पर अपने पुत्र चन्दन उम्र 35 वर्ष के गुम हो जाने की गुमशुदगी सूचना दर्ज करायी थी। जाँच गुमशुदगी के दौरान श्रीमती तिलाका के पुत्र राकेश ने दिनांक 26.07.2021 को थाने पर लिखित सूचना दी कि उसके भाई चन्दन की हत्या चन्दन की पत्नी श्रीमती गीता उर्फ शिवकुमारी एवं उसके प्रेमी मुर्शीद पुत्र रौनक अली उपरोक्त ने षड़यन्त्र के तहत कर दी है, एवं शव को मुण्डा ग्राम के पास नहर में फेंक कर गायब कर दिया है। सूचना पर मु0अ0सं0 153/21 धारा 302/201/120B भादवि थाना आसीवन पर पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष अनुराग सिंह द्वारा ग्रहण की गयी एवं दौराने विवेचना अभियुक्त मुर्शीद व अभियुक्ता गीता उर्फ शिवकुमारी उपरोक्त को गिरफ्तार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. अभियुक्त मुर्शीद पुत्र रौनक अली निवासी ग्राम खेवरई थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष
2. अभियुक्ता गीता उर्फ शिवकुमारी पत्नी स्व0 चन्दन निवासी ग्राम मुण्डा थाना आसीवन उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1. मृतक चन्दन का आधार कार्ड
2. मृतक चन्दन की स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पास बुक

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष अनुराग सिंह
2. उ०नि० संजय कुमार यादव
3. का० अंकुर यादव
4. का० पंकज कुमार
5. म०का० निधी वर्मा



छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों की रोकथाम एवं संबन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस छेड़खानी में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।



संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.07.2021 को वादी मुकदमा ननक्के पुत्र बाबूलाल नि० आटा बंधर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव की लिखित तहरीर पर थाना अचलगंज पर मु०अ०सं० 237/21 धारा 354/452 भा०दं०वि० बनाम छोटू उर्फ अमन सिंह पुत्र रामभवन सिंह नि० ग्राम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 27.07.2021 को उ०नि० अखिलेश कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा वांछित अभियुक्त छोटू उर्फ अमन सिंह पुत्र राम भवन सिंह नि० ग्राम आटा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को बदरका से शुक्लागंज जाने वाले मार्ग पर बदरका भट्टा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. छोटू उर्फ अमन सिंह पुत्र राम भवन सिंह नि० ग्राम आटा बंधर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. उ०नि० अखिलेश कुमार
2. का० महेश सिंह